



44



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी
I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/6071

- 1- हरी पुत्र हल्कुआ
- 2- दयाराम पुत्र हल्कुआ
- 3- घसीटा पुत्र जनकिया
- 4- नन्दी पुत्र हरचन्ना
- 5- हल्काई पुत्र पन्ना
- 6- रामकली पत्नी

श्री. ~~लाख सिंह धाकर~~
द्वारा आज दि. 22.12.17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
दि. 22.12.17

गोटीराम
निवासीगण- ग्राम सलैया, तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.) निगरानीकर्ता

- बनाम
- 1- ग्यासी पुत्र देवी श्रीवास
निवासी - ग्राम सलैया, तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.)
- 2- म.प्र. शासन..... प्रतिनिगरानीकर्तागण



Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व
संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय मण्डल
महेवा, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर के क्रमां
67/अ-3/16-17 में पारित आदेश दिनांक 24.07.20
के विरुद्ध निगरानी जानकारी दिनांक से अंदर अत
प्रस्तुत ।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

श्रीमान् प्रख्यात (रा.अं.)
कार्यालय महाविद्यालय, ग्वालियर

1- यहकि, प्रतिनिगरानीकर्ता क.1 द्वारा नायब तहसील महोदय महेवा,
समक्ष एक आवेदनपत्र भूमि सर्वे क्रमांक 2235/2, 2237/1,
2906/3, 2910/3, 2920/3, 2921/3, 2929/3, 2930/3,
कराने वावत प्रस्तुत किया गया था। जिसे तहसील न्यायालय
क्रमांक 67/अ-3/16-17 पर पंजीवद्ध किया गया। आवेदकग
क्रमांक 1 के सरहदी कृषक हैं। किन्तु उन्हें सूचना व सुनवाई का
बगैर तहसीलदार महोदय द्वारा तरमीम नियमों को अनदेख करते
से आलोच्य आदेश दिनांक 24.07.17 पारित किया गया।
यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधरूप से तरमीन का आदेश
प्रतिनिगरानीकर्ता में तरमीन की गयी है जिससे आवेदक


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/6071

जिला – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.01.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ एवं अना0 क. 4 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन एवं ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 24.07.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 22.12.2017 को प्रस्तुत की गई है जो अवधि वाह्य है। विलंब के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण नहीं बताया गया है। यदि प्रकरण को गुण-दोष पर भी देखा जाए तो आलोच्य आदेश में नायब तहसीलदार ने स्पष्ट किया है कि सीमांकन में सरहदी कृषकों को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा विधिवत सूचना देकर तरमीम प्रस्ताव तैयार किया गया है। उनके आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश पारित किया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	